संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute Of Medical Sciences,
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014 (INDIA)

पत्रांक–पी0जी0आई0 / चि0अ0 / अधि0 / [illegible] /2018 दिनांक [illegible] 2018

कार्यालय आदेश

संस्थान में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को ओ0टी0 / आई0सी0यू0 भत्तें के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश सं0–PGI/DIR/11413/99 dated 26-04-1999 में दी गई व्यवस्था के अनुसार नीचे अंकित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों (सहायक नर्सिंग अधीक्षक, उपचारिका श्रेणी–1 एवं उपचारिका श्रेणी–2) को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 120/– प्रतिमाह के भुगतान हेतु निम्नलिखित व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है–

a. All OT's , CCM and Labour Room
b. All SICU's, ICU's and MICU / Post operative Unit / BMT Unit / KTU / Dialysis Unit
c. Emergency Ward (ERS-I & ERS-II).
d. Cardiac Catherisation Lab and Endoscopy (E-Block) / DSA (Radiology).
e. Trauma Centre (OT & ICU only).
f. Swine Flu ward / Neurology ward /Paediatric Gastroenterology ward & endoscopy (H-Block, GF)

उपरोक्त भत्ता उन नर्सिंग कर्मियों को अनुमन्य होगा जो निम्न शर्तो को पूर्ण करते हुये पात्रता की श्रेणी में होगें।

1. यह भत्ता कुल नर्सिंग स्टाफ के 35 प्रतिशत की सीमा तक वरिष्ठता क्रम में अनुमन्य होगा।
2. ओ0टी0 / आई0सी0यू0 में तैनाती के 02 वर्ष के उपरान्त ही यह भत्ता अनुमन्य होगा। जो कर्मी उपरोक्त विभागों में पूर्व से कार्यरत है उन्हें यह भत्ता यथावत मिलता रहेगा।
3. उपरोक्त विशिष्ट कार्य स्थलों पर तैनाती के पूर्व कर्मी को कम से कम 01 वर्ष सामान्य कार्य स्थल पर कार्य करना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध केवल नये कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मियों पर ही प्रभावी होगा।
4. परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान यह भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।
5. ओ0टी0 / आई0सी0यू0 भत्ता सम्बन्धित क्षेत्र के उन्हीं कर्मियों को ग्राहय होगा जो कम से कम एक कलैण्डर माह में 15 दिन से अधिक से कार्य सम्पादित करेगें तथा सामान्य क्षेत्र में स्थानान्तरण के उपरान्त यह भत्ता स्वतः ही बन्द हो जायेगा। यदि किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण उपरोक्त विभागों के अर्न्तनिहित होगा तो उन्हें यह भत्ता यथावत मिलता रहेगा।
6. पात्र कर्मचारियों की सूची चिकित्सालय अधिष्ठान द्वारा प्रथम बार वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।
7. 15 दिन से अधिक अवकाश / अनुपस्थित की सूचना प्रत्येक माह सम्बन्धित अधिष्ठान वित्त विभाग को पृथक से उपलब्ध करायेगा।
8. उपरोक्त भत्ता केवल उपचारिका श्रेणी–2, उपचारिका श्रेणी–1 एवं सहायक नर्सिंग अधीक्षक पदधारकों को ही देय होगा।
9. भविष्य में नये विभागों के कियाशील होने पर यदि उनमें उपरोक्त परिभाषित क्षेत्र सम्मिलित होगें तो उन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी इस आदेश की अर्हता पूर्ण करने पर स्वतः ही अर्ह माने जायेगें।
10. यह भत्ता ग्राहय कर्मचारियो को विशिष्ट भत्ते के रूप में मासिक वेतन के साथ देय होगा।
11. स्पेशल एरियर एलाउंस हेतु समय–समय पर जारी शासनादेश / संशोधन यथावत् लागू किये जायेगें।
12. यह आदेश माह जुलाई 2018 से प्रभावी होगा। अवशेष अवधि के भुगतान हेतु सभी सम्बन्धित कर्मी अपने प्रार्थना पत्र समस्त साक्ष्यों सहित अधिष्ठान को 01 माह के अन्दर प्रेषित करेगें तथा अधिष्ठान निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरान्त लेखा शाखा को भुगतानार्थ प्रेषित करेगें।

निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अपर निदेशक, पी0जी0आई0।
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पी0जी0आई0।
3. चिकित्सा अधीक्षक, पी0जी0आई0।
4. समस्त विभागाध्यक्ष पी0जी0आई0।
5. वित्त अधिकारी पी0जी0आई0।
6. मुख्य नर्सिंग अधीक्षिका पी0जी0आई0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित की पात्र कर्मचारियों की सूची 01 सप्ताह के अन्दर अधिष्ठान को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम को इस आदेश से कि उक्त आदेश को संस्थान की वेब साइट पर अपलोड करें।
8. समस्त प्रभारी अधिकारी / समस्त वार्ड इंचार्ज पी0जी0आई0।
9. समस्त नोटिस बोर्ड / कार्यालय प्रति।

निदेशक